

भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 64/2023
दिनांक: 1 मार्च, 2024

विषय: राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से खाद्य वस्तुओं का निर्यात।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (वर्ष 1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और दिनांक 20.07.2023 की अधिसूचना सं. 20/2023 के पैरा 2 (iv) में निहित प्रावधान और दिनांक 24.05.2023 की अधिसूचना सं. 07/2023 के अनुरूप राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से निम्नलिखित खाद्य वस्तुओं का निर्यात अनुमत किया जाता है।

क्र.सं.	वस्तु का नाम	एचएस कोड	देश का नाम	मात्रा
1	गैर-बासमती सफेद चावल	10063090	तंजानिया (जांजीबार)	30,000 मी.ट.

क्र.सं.	वस्तु का नाम	एचएस कोड	देश का नाम	मात्रा
1	टूटे हुए चावल	10064000	जिबूटी	30,000 मी.ट.
2			गिनी बिसाऊ	50,000 मी.ट.

अधिसूचना का प्रभाव:

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से उपर्युक्त खाद्य वस्तुओं का निर्यात अनुमत किया जाता है।

संतोष कुमार सशर्मा

(संतोष कुमार सारिंगी)

महानिदेशक विदेश व्यापार

पदेन अपर सचिव, भारत सरकार

ई-मेल: dgfi@nic.in

(फा. सं. 01/91/191/049/एम-24/ईसी/ई-37225 से जारी)